कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्री अनिल संत ,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- **सर्वश्री प्रदीप कुमार गोविल अधिवक्ता पुराना बाजार खुर्जा,बुलन्दशहर ।**

प्रा0प0सं0- 370/**2008**

प्रार्थी की ओर से- **श्री प्रदीप कुमार गोविल ,अधिवक्ता ।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अर्न्तगतनिर्णय</u>

1- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 03-10-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । प्रार्थना पत्र में यह प्रश्न किया गया है कि शिडयूल-2-भाग-ए के कम संख्या-66 पर अंकित इन्सूलेटर की प्रविष्टि पर क्या कोई संशोधन किया गया है?

2- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री प्रदीप कुमार गोविल,अधिवक्ता उपस्थित हुयें व उन्होनें उपरोक्त तथ्यों को दोहराया ।

3- मैनें व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों, विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को का अवलोकन किया। जॉच पर पाया गया कि प्रार्थी द्वारा उठाये गये प्रश्न में कोई विवाद नहीं है। अतः धारा-59 की परिधि में न आने के कारण प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

4- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: 25,नवम्बर,2008

ह0 25.11.08

(अनिल संत)

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।